आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No.-06/2025-26

04/11/25

सरकार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा **बनाम** संजय परशुरामका एवं अन्य

आदेश

यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताडा के पत्रांक-248/जि0आ0, दिनांक-25.04.2025 द्वारा जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-235/2024 दिनांक-17.12.2024 में रामेश्वर राईस मिल, जामताड़ा का जाँच के क्रम में 36 पैकेट प्रति पैकेट 50 के0जी0 लगभग 18 क्विंटल फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) एवं वाहन संख्या WB-41D-5324 को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6A के तहत राजसात की कार्रवाई करने की अनुरोध पर दायर है।

सरकार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा की ओर से विद्व सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा कहा गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-248/जि0आ0, दिनांक-25.04.2025 में अंकित है "रामेश्वर राईस मिल शहरपुरा, जामताड़ा का जाँच के क्रम में वाहन संख्या- WB-41D-5324 एवं उस पर लदा हुआ 36 पैकेट फोर्टीफाईड राईस प्रति पैकेट लगभग 50 के0जी0 कुल-18 क्विंटल फोर्टीफाईड राईस जप्त किया गया।............. इस कार्यालय का पत्रांक-27/जि0आ0, दिनांक-24.01.2025 के अनुपालन में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा जप्त 36 पैकेट प्रति पैकेट 50 के0जी0 फोर्टीफाईड राईस को तत्काल सुरक्षित रखने हेतु नजदीकी डीलर श्री अनिल कुमार साव अनुज्ञप्ति संख्या-01/2020, दुमका रोड, जामताड़ा के पास रखा गया है। लम्बे समय से चालव पड़े रहने से इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।.................."

पुनः विद्व सरकारी अधिवक्ता द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6A के तहत जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-235/2024 दिनांक-17.12.2024 में रामेश्वर राईस मिल, जामताड़ा का जाँच के क्रम में 36 पैकेट प्रति पैकेट 50 के0जी0 लगभग 18 क्विंटल फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) एवं वाहन संख्या WB-41D-5324 को राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्व अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि शिव कुमार परशुरामका रामेश्वर राईस मिल प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है जबकि संजय कुमार परशुरामका एवं जतीन परशुरामका रामेश्वर राईस मिल प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है। जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-235/2024 दिनांक-17.12.2024 में रामेश्वर राईस मिल, जामताड़ा का जाँच के क्रम में परिसर में स्थित वाहन संख्या WB-41D-5324 से प्राप्त 36 पैकेट प्रति पैकेट 50 के0जी0 लगभग 18 क्विंटल फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) जप्त किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए Food Corporation India से 1600 टन खरीदे गये चावल में से उक्त फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) था, जिसका Release Order No. RO/55034/1053201 dated 25.08.2023, Release Order No. RO/55034/1054302 dated 07.09.2023, Release Order No. RO/55034/1056527 dated 14.09.2023 and Release Order No. RO/55034/1056520 dated 14.09.2023 निर्गत है। इस प्रकार रामेश्वर मिल द्वारा उक्त चावल तैयार नहीं किया गया, बल्कि Food Corporation India से खुली निविदा से खरीदा गया। तदनुसार विपक्षी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन नहीं किया गया।

उभयपक्ष के विद्व अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। विपक्षी के विद्व अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-235/2024 दिनांक-17.12.2024 में रामेश्वर राईस मिल परिसर में स्थित वाहन संख्या WB-41D-5324 से प्राप्त 36 पैकेट प्रति पैकेट 50 के0जी0 लगभग 18 क्विंटल फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) Food Corporation India से वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक-25.08.2023, 07.09.2023 एवं 14.09.2023 को खरीदा गया था। जबकि जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-235/2024 दिनांक-17.12.2024 को प्राथमिकी दर्ज हुआ। उक्त फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) का इतने लम्बे अवधि तक जनवितरण प्रणाली के दुकानों को स्थानातंरित न कर उक्त वाहन या राईस मिल परिसर में जमाखोरी (Hoarding) किया जाना राईस मिल मालिक के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। Food Corporation India से कब-कब कितना फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) खरीदा गया एवं कितना

जनवितरण प्रणाली के लिए भेजा गया एवं कितना फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) शेष है, उक्त विवरणी संबंधी कोई कागजात विपक्षी द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) जनवितरण प्रणाली में वितरण के लिए या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन है एवं मालिक द्वारा फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) का अनधिकार जमाखोरी (Hoarding) किया जाना स्पष्ट है। थाना में दर्ज प्राथमिकी में उक्त फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) का कालाबाजारी कि नियत से लिये जाने का उल्लेख किया गया है। तदनुसार विपक्षी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया गया।

अतः जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-235/2024 दिनांक-17.12.2024 में रामेश्वर राईस मिल, जामताड़ा का जाँच के क्रम में 36 पैकेट प्रति पैकेट 50 के0जी0 लगभग 18 क्विंटल फोर्टीफाईड राईस (खाद्यान्न) एवं वाहन संख्या WB-41D-5324 को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6A के तहत राजसात किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/11/25
उपायुक्त,
जामताड़ा।

04/11/25
उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
7/11/25

Seen
13.11.25

Digitally signed by RAVI ANAND
Date: 2025.11.14 10:31:42 +05:30
Location: 192.168.1.106